

MRA IN USUA The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 30, 2017/चैत्र 9, 1939

No. 125]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 30, 2017/CHAITRA 9, 1939

केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय

अधिसूचना

कासरगोड, 21 फरवरी, 2017

सं. के. वि.के./एडीएम/कोर्ट-II./2016.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

द्वितीय कोर्ट के गठन से संबंधित केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय की संविधि 10 का संशोधन धारा 26 (ख) जो धारा 27(2) एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की संविधि 10 के साथ पढ़ाया जाए।

मौजूदा संविधि 10

- 10(1) कोर्ट की एक वार्षिक बैठक, किसी वर्ष के कोर्ट द्वारा किसी अन्य तारीख पर तय नहीं किए जाने पर, कार्यकारी परिषद् द्वारा तय की जाने वाली तारीख पर आयोजित की जाएगी।
- (2) कोर्ट की एक वार्षिक बैठक में, रसीद एवं व्यय संबंधी विवरण, लेखापरीक्षित तुलन-पत्र एवं अगले वर्ष के वित्तीय प्राक्कलन सहित पिछले वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली संबंधी एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।
- (3) वार्षिक बैठक के कम से कम सात दिन पहले, रसीद एवं व्यय विवरण, तुलन-पत्र तथा उपधारा 2 में उल्लिखित वित्तीय प्राक्कलन की प्रतियाँ कोर्ट के सभी सदस्यों को प्रेषित की जाएँगी।
- (4) कोर्ट की विशेष बैठकें कार्यकारी परिषद् या कुलपित द्वारा या अगर कुलपित नहीं है तो समकुलपित द्वारा या अगर समकुलपित नहीं है तो कुलसिव द्वारा आयोजित की जाएँ।
- (5) कोर्ट के ग्यारह सदस्यों से कोर्ट की एक बैठक के लिए कोरम बन जाएगा।

संशोधित संविधि 10

- 10(1) कोर्ट की एक वार्षिक बैठक, किसी वर्ष के कोर्ट द्वारा किसी अन्य तारीख पर तय नहीं किए जाने पर, कार्यकारी परिषद् द्वारा तय की जाने वाली तारीख पर आयोजित की जाएगी।
- (2) कोर्ट की एक वार्षिक बैठक में, रसीद एवं व्यय संबंधी विवरण, लेखापरीक्षित तुलन-पत्र एवं अगले वर्ष के वित्तीय प्राक्कलन सहित पिछले वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली संबंधी एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।
- (3) वार्षिक बैठक के कम से कम सात दिन पहले, रसीद एवं व्यय विवरण, तुलन-पत्र तथा उपधारा 2 में उल्लिखित वित्तीय प्राक्कलन की प्रतियाँ कोर्ट के सभी सदस्यों को प्रेषित की जाएँगी।
- (4) कोर्ट की विशेष बैठकें कार्यकारी परिषद् या कुलपित द्वारा या अगर कुलपित नहीं है तो समकुलपित द्वारा या अगर समकुलपित नहीं है तो कुलसचिव द्वारा आयोजित की जाएँ।
- (5) कोर्ट के ग्यारह सदस्यों से कोर्ट की एक बैठक के लिए कोरम बन जाएगा।



- (6) निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करते हुए केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय के द्वितीय कोर्ट का गठन; 1. कुलाधिपति - अध्यक्ष 2. कुलपति
- 3. समस्त अधिष्ठाता
- 4. वित्त अधिकारी
- 5. परीक्षा नियंत्रक
- 6. पुस्तकालयाध्यक्ष
- 7. वरिष्ठतम वार्डन
- 8. प्रत्येक स्कूल से वरिष्ठता क्रम से, रोटेशन के आधार पर एक प्रोफेसर/एसोशियट प्रोफेसर/ एसिस्टेंट प्रोफेसर।
- 9. कुलाध्यक्ष द्वारा नामित, विद्वज्जनों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति।
- 10. एस.सी/एस.टी, ओ.बी.सी, महिला एवं अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करनेवाले चार व्यक्ति।
- 11. कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के दो अध्यापक।
- 12. कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय का एक गैर-अध्यापक कर्मचारी।

Amended Statute 10

- 13. छात्र परिषद् के अध्यक्ष एवं सचिव।
- 14. कुलसचिव सदस्य सचिव

डॉ. ए. राधाकृष्णन नायर, कुलसचिव [विज्ञापन-III/4/असा./424/16]

CENTRAL UNIVERSITY OF KERALA NOTIFICATION

Kasaragod, the 21st February, 2017

No. CUK/ADM/Court-II/ 2016.—The following is published for general information.—

Existing Statute 10

Amendment to Statute 10 of Central University of Kerala on the constitution of the Second Court Section 26(b) read with Section 27(2) and Statute 10 of Central Universities Act, 2009

date to be fixed by the Executive Council unless some other date has been fixed by the Court of any year.	date to be fixed by the Executive Council unless some other date has been fixed by the Court of any year.
(2) At an annual meeting of the Court, a report on the working of the University during the previous year, together with a statement of the receipts and expenditure, the balance sheet as audited, and the financial estimates for the next year shall be presented.	(2) At an annual meeting of the Court, a report on the working of the University during the previous year, together with a statement of the receipts and expenditure, the balance sheet as audited, and the financial estimates for the next year shall be presented.



- (3) A copy of the statement of receipts and expenditure, the balance sheet and the financial estimates referred to in clause (2) shall be sent to every member of the Court at least seven days before the date of the annual meeting.
- (4) Special meetings of the Court may be convened by the Executive Council or the Vice Chancellor or if there is no Vice Chancellor, the Pro-Vice-Chancellor or if there no Pro-Vice-Chancellor, by the Registrar.
- (5) Eleven members of the Court shall form a quorum for a meeting of the Court.
- (3) A copy of the statement of receipts and expenditure, the balance sheet and the financial estimates referred to in clause (2) shall be sent to every member of the Court at least seven days before the date of the annual meeting.
- (4) Special meetings of the Court may be convened by the Executive Council or the Vice Chancellor or if there is no Vice Chancellor, the Pro-Vice-Chancellor or if there no Pro-Vice-Chancellor, by the Registrar.
- (5) Eleven members of the Court shall form a quorum for a meeting of the Court.
- (6) Constitution of the Second Court of Central University of Kerala with the following members;
 - 1. Chancellor Chairperson
 - 2. Vice-Chancellor
 - 3. All Deans
 - 4. Finance Officer
 - 5. Controller of Examinations
 - 6. Librarian
 - 7. Senior most Warden
 - 8. One Professor/Associate Professor/Assistant Professor from each school, by rotation in the order of seniority
 - 9. Two persons representing learned professionals nominated by the Visitor
 - 10. Four persons nominated by the Vice-Chancellor, representing SC/ST, OBC, Women, Minority
 - 11. Two teachers from the University nominated by the Vice-Chancellor
 - 12. One Non-Teaching staff from the University nominated by the Vice-Chancellor
 - 13. The President and the Secretary from the Students Council
 - 14. The Registrar Member Secretary

Dr. A. RADHAKRISHNAN Nair, Registrar [ADVT.-III/4/Exty./424/16]

Paper to be laid on the Table

of Lok Sabha/Rajya Sabha

Authenticated

The Gazette of India

लोक सभा/राज्य सभा पटल पर रखे जाने वाले कागजात

अधिप्रमाणित

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III-Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 373] No. 3731

नई दिल्ली, बृहपतिवार, सितम्बर 21, 2017/भाद्र 30, 1939 NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 21, 2017/ BHADRA 30, 1939

केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय

अधिस्चना

कासरगोड, 13 सितम्बर, 2017

सं. के.के.वि./एस टी ए टी/संशोधन/12/03126.—अध्यापकों की सेवा संबन्धी नियम व शर्तों तथा आनार सहिता के अधार पर केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय की संविधि 22 का संशोधन

वर्तमान संविधि 22

- (2) शैक्षणिक कर्मचारी सदस्यों की परिलब्धियाँ अध्यादेशों में निर्धारित जैसी होंगी।
- (3) विश्वविद्यालय के हर एक अध्यापकों एवं शैक्षणिक कर्मचारी सदस्यों की नियुक्ति एक लिखित करार के आधार पर होगी, जिस का प्रपत्र अध्यादेशों में निर्धारित जैसा होगा।
- (4) उपधारा (3) में संदर्भित हर एक करार की प्रतिलिपियाँ कुलसचिव को जमा की जाएगी।

संशोधित संविधि 22

- दिनांक, 22(1) विश्वविद्यालय के सभी अध्यापक और शैक्षणिक 22(1) विश्वविद्यालय के सभी अध्यापक और शैक्षणिक कर्मचारी गण, इस के विपरीत में किसी भी करार के अभाव में, कर्मचारी गण, इस के विपरीत में किसी भी करार के अभाव में, संविधि, अध्यादेश एवं विनियमों में विनिर्दिष्ट सेवा नियम व में, संविधि, अध्यादेश एवं विनियमों में विनिर्दिष्ट सेवा नियम व में, संविधि, अध्यादेश एवं विनियमों में विनिर्दिष्ट सेवा नियम व शर्तों और आचार संहिताओं के अनुसार शासित किये जाएँगें। व शर्तों और आचार संहिताओं के अनुसार शासित किये जाएँगें। Shastri Bhawan, New
 - (2) शैक्षणिक कर्मचारी सदस्यों की परिलब्धियाँ अध्यादेशों में निर्धारित जैसी होंगी।
 - (3) विश्वविद्यालय के हर एक अध्यापकों एवं शैक्षणिक कर्मचारी सदस्यों की नियुक्ति एक लिखित करार के आधार पर होगी, जिस का प्रपत्र अध्यादेशों में निर्धारित जैसा होगा।
 - (4) उपधारा (3) में संदर्भित हर एक करार की प्रतिलिपियाँ कुलसचिव को जमा की जाएगी।
 - (5) अध्यापकों की अधिवर्षिता की आयु 65 होगी।

डॉ. ए. राधाकृष्णन नायर, कुल सचिव

[विज्ञापन-11]/4/असा./241/17]

CENTRAL UNIVERSITY OF KERALA NOTIFICATION

Kasaragod, the 13th September, 2017

No. CUK/STAT/AMENDMENT/12/03126.—Amendment of Statute 22 of Central University of Kerala on terms and conditions of service and code of conduct of teachers

Existing Statute 22	Amended Statute 22
22 (1) All the teachers and other academic staff of the University shall, in the absence of any agreement to the contrary, be governed by the terms and conditions of service and code of conduct as are specified in the Statutes, the Ordinances and the Regulations.	22 (1) All the teachers and other academic staff of the University shall, in the absence of any agreement to the contrary, be governed by the terms and conditions of service and code of conduct as are specified in the Statutes, the Ordinances and the Regulations.
(2) The emoluments of members of the academic staff shall be such as may be prescribed by the Ordinances.	(2) The emoluments of members of the academic staff shall be such as may be prescribed by the Ordinances.
(3) Every teachers and member of the academic staff of the University shall be appointed on a written contract, the form of which shall be prescribed by the Ordinances.	(3) Every teachers and member of the academic staff of the University shall be appointed on a written contract, the form of which shall be prescribed by the Ordinances.
(4) A copy of every contract refered to in clause (3) shall be deposited with the Registrar.	(4) A copy of every contract refered to in clause (3) shall be deposited with the Registrar.
	(5) The age of superannuation of teachers shall be 65 years.

Dr. A. RADHAKRISHNAN NAIR, Registrar [ADVT.-III/4/Exty./241/17]

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.09.21 23:15:49 +05'30'